राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

कमांक प0 8(2) राज/वाद/12 जयपुर, दिनांक 18-1-2022

:: आदेश ::

अपर जिला न्यायाधीश, मावली जिला उदयपुर में राज्य सरकार की ओर से समुचित एवं प्रभावी पैरवी करने हेतु अधिवक्ता संवर्ग के अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक तथा इनके कार्यालय हेतु स्टाफ के पद बजट मद 2014–00–114–01–00–01 (राज्य निधि) में निम्नानुसार सृजन करने की एतद्द्वारा राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क0सं0	पद नाम	कुल सृजित पद	पे बैण्ड/ग्रेड पे/पे–लेवल
1	अपर लोक अभियोजक एंव राजकीय अभिभाषक, मावली जिला उदयपुर	01	रू0 17,640/– प्रतिमाह (निश्चित) रिटेनरशिप
2	कनिष्ठ सहायक	01	5200–20200 ग्रेडपे –2400/– एल–5
3	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	01	5200–20200 ग्रेडपे –1700/– एल–1

उक्त कार्यालय हेतु निम्नांकित नवीन आईटम हेतु वित्त वर्ष 2021–2022 में लेखामद 2014–00–114–01–00–05 कार्यालय व्यय (राज्य निधि) में उपलब्ध वित्तीय प्रावधान से व्यय करने की सहमति प्रदान की जाती है, यह उपापन राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पालना करते हुए किया जाये:–

क0सं0	फर्नीचर का नाम	कुल कार्यालय	प्रत्येक कार्यालय के लिए	कुल संख्या (3X4)	अनुमानित दर	अनुमानित व्यय (5X6)
1	2	3	4	5	6	7
1	टेबिल	01	02	02	7000/–	14,000/–
2	कुर्सी	01	08	08	2000/–	16,000/–
3	आलमारी	01	02	02	10,000/–	20,000/–
4	विविध अन्य कार्यालय सामग्री	01	रूपये 10000/–	–	–	10,000/–
					योग	60,000/–

नवसृजित कार्यालय, पदों एवं नियमानुसार उपरोक्त फर्नीचर क्रय करने की स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी सं0 102106122 दिनांक 17.01.2022 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

आज्ञा से,

ह0

शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. विशेषाधिकारी (जीएसवाई), माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव विधि।
5. जिला एवं सैशन न्यायाधीश, उदयपुर।
6. अपर जिला न्यायाधीश, मावली जिला उदयपुर।
7. विशिष्ठ शासन सचिव, गृह(विधि) एवं संयुक्त विधि परामर्शी ।
8. जिला कलक्टर, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त नवीन आइटम चालू वित्त वर्ष में उपलब्ध वित्तीय प्रावधान से तत्संबंधी नियमों/निर्धारित प्रकियाओं की पूर्ण पालना करते हुए क्रय किया जाना सुनिश्चित कर संबंधित कार्यालय को उपलब्ध करायें।
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग।
10. कोषाधिकारी, अलवर।
11. संबंधित कार्यालय।
12. सहायक लेखाधिकारी–प्रथम, विधि (वादकरण) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वांछित बजट संबंधित जिला कलक्टर को आवंटित करें।
13. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

18/1/22

(हिमांकनी गौड़)
विशिष्ठ शासन सचिव, वादकरण